UTTAR PRADESH 150 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१५० रु. Rs 150

भारत

एक सौ पचास रुपया ONE HUNDRED & FIFTY RUPEES

(1)

मन कि जनक दुलारी बेवा श्री मकुन्दलाल साकिना बाजार शिवपुर शहर शहर वाराणसी की हूँ ।

हूँ आराजियात भूमिधरी बाग नम्बरी मेल वाका मवाजियात मलाई व कादीपुर परगना शिवपुर जिला वाराणसी मुन्दर्जा मेल में निस्फ हिस्सा इस मुकिर का है और बाग मजकूर में श्री मदन मोहन शाह पुत्र श्री नारायणदास शाह साकिन नारायन पार्क शिवपुर शहर वाराणसी बजरिये नीलाम व बैनामा हिस्सेदार हैं आराजियात मजकूर व नीज दीगर आराजियात के बाबत एक मुकदमा इस मुकिरा ने बअदालत मुन्सिफी शहर वाराणसी नम्बरी २१० सन १९६६ जनक दुलारी बनाम रानी मालती देवी वगैरह दाखिल किया था जो फैसले के लिये अडिशनल मुन्सिफी दोयम वाराणसी के इजलास में मुन्तकिल कर दिया था । और अदालत अडिशनल मुन्सिफी दोयम वाराणसी के यहां से बता: २० १.६८ को एकतरफा फैसल हो गया जिसके खिलाफ इस मुकिरा ने अपील अदालत जजी वाराणसी में दाखिल किया जो अदालत अडिशनल सिविल जज दोयम वाराणसी में मुन्तकिल हुई और बाद समायत बता: २८ जुलाई सन १९७० मुकदमा रिमान्ड हो कर अदालत द्वितीय अतिरिक्त मुन्सिफ वाराणसी में जेर तजवीज है बसिलसिला

[illegible]

संतोष कुमार स्टाम्प विक्रेता
कलक्ट्री कचहरी, वाराणसी

बनाम 3500

3600 1500 375 3975

श्री [illegible] पुत्र/पत्नी [illegible]
हाल [illegible]
परगना .... तहसील / जिला वाराणसी (उ. प्र.)
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार वाराणसी में आज
दिनांक १० माह ...... २ .., सन १९69 ई० को
समय ... १ व ... २ बजे के मध्य लिख तो रजिस्ट्री के
हेतु प्रस्तुत किया।

[illegible]

सब रजिस्ट्रार 10 - 2 - 69

[illegible]

इस पत्र के लेखन व सम्पादन की बाबत [illegible]
धनराशि .... 2500/- .... [illegible]
लिखने से .... 2500/- .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]

ने स्वीकार किया जिनकी पहिचान श्री .... [illegible]
पुत्र श्री .... [illegible]
निवासी [illegible]
[illegible]
पुत्र श्री .... [illegible]
निवासी .... [illegible]
परगना .... [illegible] जिला वाराणसी ने की। [illegible]
[illegible]

[illegible]

सब रजिस्ट्रार 10 - 2 - 69

[illegible]

[illegible]

उपरोक्त अंगूठे चिन्ह निष्पादकों के जो [illegible]
होते हैं नियमानुसार लिए गए हैं।

[illegible]

सब रजिस्ट्रार
10 - 2 - 69

UTTAR PRADESH 10 Rs.

दस रुपया

१०रु. भारत INDIA 10Rs.

TEN RUPEES

२८/१०

मुकदमा मजकूर इस मुकाम पर काफी खराब हो गया है जिसके बाबत तकाजा सख्त हो रहा है अलावा अरी मिनमुकिर को अपनी लड़कियों की शादी व गौना करना बहुत जरूरी है जो सरमाया नगदी न होने की वजह से टलता जा रहा है . इन सभी बातों पर गौर करके और अपने दामाद व दीगर रिश्ता-दारान करीबी व दोस्त अहबाब से राय मशविरा बावादाना करके मिनमुकिर मुनासिब समझता है कि अपना कुल हक व हिस्सा जायदाद मजकूर लखदर फरोख्त करके व रफा जरूरियात वाला सुबुकदोशी हासिल कर लें. चुनान्चे: इस सिलसिला में श्री मदन मोहन लाल मौसूफ से बातचीत हुई और वह बकीमत मुबलिग २५०० पचीस सौ रुपया निस्फी हिस्सा मुफस्सला जैल अरी मिनमुकिर का बैनामा कराने को आमादा है जो इस मौके पर बहुत ही मुनासिब और काफी कीमत जायदाद मजकूर की है इस से ज्यादा क्या इतना भी देने को कोई दूसरा शख्स तैयार नहीं है पस मिनमुकिर बखुशी व रजामंदी बदुरुस्ती होश व हवास बहालत बात व सबात अक्ल बिला जब्र व इकराह सभी बातों पर बखूबी गौर करके और राय आमादाना हासिल करके मिनमुकिर बैनामा हाजा बाबत निस्फी हिस्सा खुद अंदर जायदाद मजकूर मुफस्सला जैल बकीमत मुबलिग २५०० पचीस सौ रुपया कि निस्फ जिसका मुबलिग १२५०.

सन्तोष कुमार [illegible] विक्रेता
[illegible]

बारह सौ पचास रुपया होता है अदद व बहक श्री मदन मोहन शाह पुत्र श्री नरायन दास जी साकिन नारायन पार्क शिवपुर जिला वाराणसी तहरीर व तकमील करके अपने व अपने वारिसान व कायम मुकामान को पाबन्द अदायत बैअ के करती हूँ .

१. यह कि कुल जर समन बैनामा हाजा मुबलिग २५०० पचीस सौ रुपया मिनमुकिरा ने मुश्तरी मौसूफ से नगद रूबरू सब रजिस्ट्रार साहब वाराणसी वसूल पा लिया . अब एक हब्बा भी बजिम्मे मुश्तरी मौसूफ बाकी नहीं रहा तमामी उजरात निस्बत अदम वसूली जर समन कुल्या जुज पेश करदा मिनमुकिरा या वारिसान व कायम मुकामान मिनमुकिरा व मुकाबिला वसीका हाजा बातिल व नाजायज व नामसमूअ होगा .

२. यह कि मिनमुकिरा ने जायदाद मुबैय्या से अपना कब्जा व दखल हटा कर बहकमाल खुद कब्जा व दखल वाकई मालिकाना मुश्तरी मौसूफ का आज की तारीख में करा दिया अब मिनमुकिरा को जायदाद मुबैय्या मजकूर से

प्रतोष कुमार स्टाम्प विक्रेता
कलक्ट्री कचहरी, वाराणसी ;

कोई वास्ता व ताल्लुक किसी किस्म का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा. होगा. मिनमुकिरा को जायदाद मुबैय्या में जो कुछ भी हक व हकूक हासिल रहे या आइन्दा होते वह सब आज की तारीख से बहक मुस्तरी मौसूफ मुंतकिल हो गये और मुंतकिल मुतसव्वर होंगे. मुस्तरी मौसूफ को हक हासिल है कि वह बजिरये मिनमुकिरा जायदाद मुबैय्या पर मालिकाना काबिज व दखील रह कर मुस्ला फेल मालिकाना अमल में लावे और जो चाहे सो करे अब मिन मुकिरा से कोई वास्ता व ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है और न आइन्दा होगा मुस्तरी मौसूफ को यह भी हक है कि बदलाज नाम हम मुकिरा नाम अपना कागजात सरकारी में मुन्दरज करा लेवें. जिसके लिये जरूरी दरख्वास्त दस्तखत करके हम मुकिराने हवाला मुस्तरी मौसूफ कर दिया है और आइन्दा भी इस सिलसिला में जो कुछ करने की जरूरत होगी उसको बिला किसी उज्र करेंगे.

3. यह कि निस्फी हिस्सा जायदाद मुबैय्या अब्बा मिनमुकिरा कहीं रेहन व बैय ख्वाह किसी शख्स पर मुंतकिल नहीं है और न उसमें मिनमुकिरा कोई दूसरा शरीक व सहीम ख्वाह हिस्सेदार है और वह हर तरह के बार किफालत व बारदेन व जमानतदारी व जिम्मेदारी व सदमा कुर्की वगैरह से पाक व साफ व बेलाग है और पाक व साफ व बेलाग बैय की जाती है इस सब बातों का इतमिनान काफी तौर पर मिनमुकिरा ने मुस्तरी मौसूफ को कराया है. और मिनमुकिरा के इतमिनान दिलाने पर मुस्तरी मौसूफ ने मुकम्मिल बैनामा आज़ाना मंजूर किया है अगर खिलाफ इसके कोई बात

जाहिर हो और बवजह फेल या तर्क फेल या अदम हस्तक्षकालीके मिन मुकिरा बदावा दारी किसी सख्स के या किसी तौर से कब्जा व दखल मुस्तरी मौसूफ में कोई खलल व जवाल वाका हो या कुल ख्वाह जुज जायदाद मुबइया कब्जा व दखल मुस्तरी मौसूफ से निकल जावे या उनको कोई बार अदा करना पड़े तो बसूरत मुस्तरी मौसूफ को हक व अख्तियार हासिल है व रहेगा कि वह अपना कुल ख्वाह जुज जर समन मय उस रकम के जो उन्हें अदा करना पड़े या जायदाद मुबइया के तहफ्फुज में उनको खर्चा करना पड़े मय कुल खर्चा व हर्जा व सूद बशरह एक रुपया फीसदी माहवारी जात व जायदाद मनकूला व गैरमनकूला हम मुकिरा व वारिसान व कायममुकामान मिनमुकिरा से बसगीरा मुनासिब वसूल कर लेवें .

४. यह कि मुअहदा आयत वाला की पाबंदी मिनमुकिरा व वारिसान व कायम मुकामान मिनमुकिरा पर बराबर व लाजिमी होगा जिसके मिनमुकिरा ने बखूबी सुन व समझ कर और इसके असरात से वाकिफ हो कर अपने नफा व नुकसान से आगाह हो कर बखुशी व रजामंदी अकेल जात व सहत अक्ल बदुरुस्ती होश व हवास बिला जब्र व इकराह तहरीर किया है .

५. यह कि यह चंद कलमा बतौर बैनामा लाबल्ती के तहरीर कर दिया कि वक्त पर काम आवे व सनद रहे .

तफसील जायदाद मुबइया

१. किता बाग मुनिधारी वाका मौजा कादापुर बड़ी देवा परगना

[illegible]

शिवपुर जिला वाराणसी मौजा आराजी भूमिधरी बाग नम्बरी २१ इक्कीस रकबा ८३ तिरासी डि: मे निस्फ हिस्सा मिनमुकिरा मय जमीन व जुमला दरख्तान व इकसाम मौजूदा बाग मजकूर बिला हस्तक्षेप किसी दुब व शेय के इसमें ५ पाच दरख्त आम बहुत पुराना सूखे हुये मालियती मुबलिग २५० दो सौ पचास रुपये का है लेहाजा दरख्तान की कीमत आधा हिस्सा कि मुबलिग १२५ सवा सौ रुपया और जमीन की कीमत मुबलिग ४३० चारसौ तीस रुपया है यहां पर जमीन १००० एक हजार रुपया बीघा के हिस्सा से बिकी है .

२. निस्फ हिस्सा बाग मौजूदा जमीन भूमिधरी नम्बरी वैल सरका मौजा भलाई शहरी तैत्र परगना शिवपुर जिला वाराणसी मय जमीन व जुमला अशियाय व दरख्तान व इकसाम मौजूदा बाग मजकूर नम्बरी १०८,२ एकसौ आठ बटा दो .-८२ बयासी डि: १०८ एक सौ आठ बटा तीन -३६ छत्तीस डि: १०८,४.एक सौ आठ बटा चार -३८ अड़तिस डि: ११२,३ . एक सौ बारह बटा तीन -७ सात डि: व ११२,२ एक सौ बारह बटा दो -६ ७: डि: जुमला ५ पाच गाटा १ एक एकड़ ६६ औनहत्तर डि: लगानी एक रुपया तीस पैसा मे:१-३० पैसा: आधा हिस्सा मुख्या यानि साढ़े चौरासी डिसमिललगान्नी ६५ पैसठ पैसा जमीन इस मौजा मे एक हजार रुपया बीघा के हिसाब से बिकी है लेहाजा कीमत जमीन ८४५ आठ सौ पैतालिस रुपया और १० दस दरख्तान आम बाका है दरख्तान बहुत पुराने सूखे हुये है जिस की कीमत मुबलिग १००० एक हजार रुपया है आधा हिस्सा का ५०० पांच

4

सौ रुपया है यानि कुल जमीन व दरख्तान की कीमत १६०० सोलह सौ

रुपया है .

नोट: वाजा हो कि बंद चार के सतर पांच में शब्द पा बनाये सतर

टाइप है व बंद छः के सतर सोलह में शब्द किस्सा बनाये सतर टाइपड
व बंद पांच के सतर एक में : की : शब्द कटा है .

तहरीर तारीख ६ फरवरी सन् १९७२ ई० .

टाइप कर्ता: Kanhaiya Lal Srivastava

सी २४/५३ कबीरचौरा वाराणसी

तहरीर तारीख ६ फरवरी सन् १९७२ ई० .

जनकदुलारी

जनकदुलारी

बही नं. १ जिल्द ८५५८ के पृष्ठ ५७/६२ में नम्बर ११३१

पर आज दिनांक २८ जनवरी सन् १९६० ई० रजिस्ट्री की गई